टेण्डर नोटिस

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के सरकारी घोडो के लिए खडा चना, जौ, नमक पीसा आयोडीनयुक्त एवं गेहूँ का चोकर की सम्पूर्ति करने हेतु एतद्द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। यह निविदा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये होगी। निविदादाता दिनांक 26-03-2020 के 12.00 बजे दोपहर तक कार्यालय में रखे गये निविदा बाक्स में अपना टेण्डर डाल सकते है। निविदा की शर्ते निम्नलिखित होगी:-

1- निविदा निजी मोहरबन्द लिफाफे में होना चाहिए, जिस पर निविदादाता का पूरा नाम व पता लिखा जायेगा।

2- निविदा के साथ रू0 2,000/- धरोहर की धनराशि संलग्न होना चाहिए, यदि टेण्डर के साथ धरोहर की धनराशि संलग्न नहीं होगी तो वह टेण्डर मान्य नहीं होगा।

3- उपरोक्त कार्य के लिए टेण्डर नियत तिथि दिनांकः 25-03-2010 तक कार्यालय अवधि में आधार कार्ड एवं चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रू0 100/- नकद देकर ठेकेदार द्वारा टेण्डर फार्म स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। टेण्डर नियत तिथि दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में रखे गये सील्ड टेण्डर बाक्स में छपे हुये फार्म में डाले जा सकते हैं।

4- लिफाफे के ऊपर खडा चना, जौ, नमक पीसा आयोडीनयुक्त एवं गेहूँ के लिए निविदा अंकित होना चाहिए।

5- निविदा में प्रत्येक वस्तु का मूल्य प्रति कुन्तल की दर से अंकित होना चाहिए।

6- निविदा के साथ टेण्डर दाता पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र जो 06 माह से अधिक का न हो एवं परिवार जन की सूची पूर्ण पता सहित उनके अपराधिक इतिहास को अंकित कर मूल रूप में दर्शाये अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

7- यदि परिवार के किसी भी सगे-सम्बन्धी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामले या तथ्य संज्ञान में आते है तो निविदा बिना किसी कारण बताये निरस्त किय जाने का अधिकारी संस्था प्रमुख का होगा।

8- जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी उसे टेण्डर स्वीकृत होने पर वर्क आर्डर की प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर एक अनुबन्ध पत्र रू0 10/- की नान जुडीशियल स्टाम्प भरकर रू0 25,000/- (रूपया पच्चीस हजार) की धनराशि संस्था के आंकिक शाखा में जमा करना होगा।

9- यह कि निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर जमानत धनराशि जमा नहीं कराया जाता है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

10- प्रत्येक निविदादाता खडा चना, जौ, नमक पीसा आयोडीनयुक्त एवं गेहूँ का चोकर का नमूना अलग-अलग सम्पूर्ति करने वाली सामग्री को मुहर बन्द लिफाफे में लाकर जमा करेगें, जिस पर उनका नाम अंकित होगा।

11- प्रतिमाह लगभग 04 कुन्तल खड़ा चना, 12 कुन्तल दला हुआ जौ, 19 कुन्तल गेहूँ का चोकर एवं नमक पीसा आयोडीनयुक्त क्रय किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ति ठेकेदार को आदेश मिनले के एक सप्ताह के अन्दर करना होगा, यदि अवधि के अन्दर मॉगी गयी वस्तु की पूर्ति नहीं की गयी तो राशन क्रय कर लिया जायेगा और उसके क्रय करने पर जो अतिरिक्त व्यय होगा उसके ठेकेदार के पेन्डिग बिलो से काट दिया जायेगा तथा घोडा / घोडी की संख्या घटने एवं बढने पर उपरोक्त राशन की मात्र घटाई व बढ़ाई जा सकती है, जिसका पूर्ण अधिकारी संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर का होगा।

12- राशन सड़ा, गला, फफूँदी व घुन लगा ताकि घटिया नहीं होना चाहिए और इसमें यदि किसी प्रकार की खराबी पाये जाने पर कीमत की उचित कटौती की जायेगी। राशन में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए।

13- यह ठेका वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिनांकः 31-03-2021) की अवधि के लिए होगा।

14- राशन की क्वालिटी का निरीक्षक सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किये जाने के बाद ही सप्लाई ली जायेगी।

15- खडा चना, जौ, नमक पीसा आयोडीनयुक्त एवं गेहूँ का चोकर का नमूना निविदा के साथ में दिया जायेगा।

16- राशन सप्लाई करने के बाद बोरा वापस नहीं किया जायेगा।

17- कोई भी टेन्डर बिना कारण अस्वीकृत करने का अधिकार संस्था प्रमुख, पी0टी0सी0 सीतापुर को होगा।

18- टेण्डर दिनांकः 26-03-2020 को अपरान्ह 16.00 बजे टेण्डर दाता के नामित अधिकारी द्वारा खोला जायेगा।

संख्याः ठ-08/2020
दिनांकः 07 मार्च , 2019

(राजा श्रीवास्तव)
अपर पुलिस महानिदेशक,
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,
सीतापुर।